सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

निगरानी सं0 09/2009

बोदनसहाय उर्फ बोदूराम पुत्र बिरदीचन्द जाति कुम्हार निवासी हिंगोटिया तहसील दौसा जिला दौसा
... प्रार्थी

बनाम

सीताराम पुत्र श्रीनारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम हिंगोटिया तहसील दौसा जिला दौसा ...अप्रार्थी

निगरानी याचिका विरूद्ध संकल्प ग्राम पंचायत हिंगोटिया पंचायत समिति दौसा दिनांक 20.12.2004 जिसके द्वारा विपक्षी को संकल्प सं0 09 द्वारा पट्टा प्रचलित किया गया है। अ0 धारा 97 रा0 पं0 अधिनियम

उपस्थितः 1. श्री ब्रजमोहन गौड, अधिवक्ता निगरानीकार

निर्णय दिनांकः 06.12.17

संक्षिप्त विवरण निगरानी अन्तर्गत धारा–97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत हिंगोटिया पंचायत समिति दौसा द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 20.12.2004 द्वारा विपक्षी को संकल्प सं0 09 द्वारा पट्टा प्रचलित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर निगरानीकार द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई । अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस प्रार्थी सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस में दलील है कि योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प संख्या 09 दिनांक 20.12.2004 द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम हिंगाटिया स्थित भूखण्ड पूर्व पश्चिम 21 फिट चौडाई एवं 60 फिट लम्बाई का पट्टा प्रचलित करने की कार्यवाही विधि प्रकिया नियम तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्वांतों के विपरीत क्षेत्राधिकार का गलत उपयोग कर की गई है, विपक्षी को जिस स्थान का पट्टा प्रचलित किया है वहां सदैव से प्रार्थी का बाडा बना हुआ है जिसमें प्रार्थी को रिहायशी मकानात छप्पर पोश बने हुए है जिनमें प्रार्थी सपरिवार रहता है अपने मवेशी रखता है प्रार्थी ने अपने बाडे के पूर्व पश्चित में पूर्वी भुजा 112 फिट पश्चिम भुजा 15 फिट एवं उत्तरी भुजा 56 फिट एवं 26 फिट कट तिकोनी तथा दक्षिणी भुजा 66 फिट पुख्ता दीवारी निर्माण कर रखी है विपक्षी का प्रार्थी आधिपत्य एवं उपयोग उपभोग में बाडे की भूमि के किसी भूभाग पर कमी कब्जा नही रहा और न आज दिन विघमान है। ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के पुत्र ओमप्रकाश में नाम उक्त बाडा की भूमि में 45 इंदू 3 फिट का पट्टा दिनांक 04.04.2002 को तथा एक पटटा प्रार्थी की पत्नि कमली देवी के नाम 20.11.2004 को प्रचलित किया था जिसका नजराना जमा कराकर पटटा प्राप्त कर लिया था तथा शेष भूमि के संबंध में प्रार्थी ने पट्टा लेने के लिए आवेदन ग्राम पंचायत में 27.02.68 को प्रस्तुत किया था जिसका नक्शा मौका दिनांक 26.04.2001 को बना लिया था पटटा प्रचलित नही किया। इस प्रकार प्रार्थी के आधिपत्य व सामित्व

छाया प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी (कोर्ट)

के बाडे की भूमि पर अप्रार्थी के नाम पटटा प्रचलित करने का अधिनस्थ ग्राम पंचायत को कोइ अधिकार प्राप्त नही होते हुए भी प्रश्नगत पटटा जारी फरमाकर विधिक एवं न्यायिक त्रुटि पारित की है अतः ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प संख्या 9 दिनांक 24.12.2004 खण्डनीय है, ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी को पटटा प्रचलित करने का संकल्प पारित करने से पूर्व संदर्भित भूमि का नक्शा नही बनवाया नाही पंचो के द्वारा मौका निरीक्षण करवाया गया तथा ना ही कोई नीलामी क कार्यवाही की गई, ग्राम पंचायत ने पटटा प्रचलित करने से पूर्व आपत्तिया आहूत करने के लिए कोई सूचना बाबत आपत्ति प्रचलित नही की पटटा देहानी की सारी कार्यवाही गुप्त रूप से की गई है जिसकी जानकारी प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय सिविल जज (क0 खण्ड) दौसा वाद उनवानी सीताराम बनाम बोदनसहाय मय प्रार्थी पत्र अस्थाई नि0 के सूचना पत्र दिनांक 18.05.2009 की पेशी के लिए प्रचलित होने पर हुई है। इसके बाद ग्राम पंचायत मे प्रश्नगत पटटा के संबंध में जानकारी पर नकल पटटा प्राप्त कर यह निगरानी याचिका न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक समझा गया है, ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में प्रचलित पटटा की तिथि पटटा पुश्त पर भूखण्ड की सीमाओं काट छांट की गई अतः निगरानी स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत हिंगोटिया द्वारा प्रचलित पटटा दिनांक 24.12.04 निरस्त फरमाया जाना न्यायार्थ आवश्यक है।

अप्रार्थी उपस्थित नहीं होने से प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण उचित समझते हुए प्रार्थी की बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी सीताराम द्वारा दिनांक 19.11.2001 को सरपंच ग्राम पंचायत हिंगोटिया के समक्ष पट्टा देने हेतु प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 20.06.2002 को चार वार्ड पंचों को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। मौका कमिश्नर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर पट्टा देने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया गया। साथ ही मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी का मालिकाना हक होना भी अंकित किया गया है। पंचों की मौका रिपोर्ट के बाद दिनांक 20.07.2002 को आपत्ति नोटिस जारी किये गये। आपत्ति नोटिस जारी करने के अंदर मियाद 30 दिन में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत हिंगोटिया द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए पट्टा जारी करने का आदेश पारित कर दिया गया। जिसके कम में संकल्प सं0 09 दिनांक 20.12.2004 के तहत अप्रार्थी को नियमानुसार पट्टा जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये गये जिससे उनके कथन की पुष्टि होती। क्योंकि नियानुसार पंचों द्वारा मौका देखकर उनकी रिपोर्ट के बाद आपत्ति नोटिस जारी किये जाकर निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकार द्वारा भूमि के संबंध में ऐसे कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये जिससे उनके कथन पर विश्वास किया जाता। पट्टा जारी हुए लगभग 13 वर्ष हो चुके। इतनी लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के फलस्वरुप निगरानी पर कोई विचार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानी खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत का आदेश यथावत रखा जाता है। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 06 दिसम्बर,2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

छाया प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी (कोर्ट)

जिला कलेक्टर, दौसा